

पहला अध्याय

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

प्रस्तावना

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के अन्तर्गत राज्य की सरकारी कम्पनियाँ तथा सांविधिक निगम आते हैं। राज्य के पीएसयूज की स्थापना जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को पूर्ण करने के लिए किया गया है। 31 मार्च 2015 को छत्तीसगढ़ में 21 पीएसयूज थे, जिनमें 20 कम्पनियाँ¹ तथा एक सांविधिक निगम² (सभी कार्यरत) शामिल थे। इनमें से कोई भी कम्पनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। वर्ष 2014–15 के दौरान एक पीएसयू छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम लिमिटेड (सीआरडीसीएल) की स्थापना हुई तथा कोई भी पीएसयू/सांविधिक निगम बंद नहीं हुआ। 31 मार्च 2015 को राज्य के पीएसयू का विवरण **तालिका – 1.1** में दिया गया है :–

तालिका – 1.1: 31 मार्च 2015 को पीएसयू की कुल संख्या

पीएसयूज के प्रकार	कार्यरत पीएसयूज	गैर-कार्यरत पीएसयूज ³	कुल
सरकारी कम्पनियाँ ⁴	20	–	20
सांविधिक निगम	1	–	1
कुल	21	–	21

30 सितम्बर 2015 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार इन कार्यरत पीएसयूज ने ₹ 15510.96 करोड़ का आवर्त दर्ज किया। वर्ष 2014–15 के लिए यह आवर्त राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 7.38 प्रतिशत के बराबर था। 30 सितम्बर 2015 को पीएसयूज के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार कार्यरत पीएसयू ने ₹ 1232.64 करोड़

¹ (i) छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (सीआरबीईकेहीएनएल), (ii) छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (सीआरझीबीएनएल), (iii) छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम (सीएनजेक्षीएक्सीएन), (iv) छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड (सीआईडीसी), (v) छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी), (vi) छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (सीएमडीसी), (vii) सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड (सीआईसीएल), (viii) छत्तीसगढ़ सौंधिया कोल कम्पनी लिमिटेड (सीएससीसीएल), (ix) सीएसपीजीसीएल एङ्गेल पारसा कोलरीज लिमिटेड (सीएपीसीएल), (x) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल), (xi) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीजीसीएल), (xii) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होलिडंग कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीएचसीएल), (xiii) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीटीआरसीएल), (xiv) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीटीसीएल), (xv) छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड (सीएसबीसीएल), (xvi) छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (सीएससीएससीएल), (xvii) छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज निगम लिमिटेड (सीएमएससीएल), (xviii) छत्तीसगढ़ पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड (सीपीएचसीएल), (xix) रायपुर नगर निगम ट्रांसपोर्ट लिमिटेड (आरएनएनटीएल), (xx) छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम लिमिटेड (सीआरडीसीएल)

² छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम (सीएसडब्ल्यूसी)

³ गैर-कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वो है जिन्होंने अपनी गतिविधियाँ पूरी तरह बन्द कर दी हैं।

⁴ सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सम्मिलित है, अन्य कम्पनियाँ जो कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) एवं 139 (7) में चिह्नित हैं।

की हानि वहन की। मार्च 2015 के अंत की स्थिति के अनुसार इन पीएसयूज ने 20239 कर्मचारियों को नियोजित किया था।

राज्य के पीएसयूज में एक स्वायत्तशासी निकाय छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) शामिल नहीं है जिसका भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (सीएजी) एकमात्र लेखापरीक्षक है।

जवाबदेयता संरचना

1.2 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 एवं 143 के अनुसार अधिशासित होती है। अधिनियम की धारा 2 (45) के अनुसार, “सरकारी कम्पनी” वह कम्पनी है जिसकी प्रदत्त अंश पूँजी में केन्द्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार या सरकार, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकार और एक सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी को सम्मिलित करते हुये ऐसी कम्पनी का हिस्सा 51 प्रतिशत से कम न हो।

इसके अतिरिक्त, सीएजी यदि आवश्यक समझे तो ऐसी कम्पनियाँ जो अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (5) एवं (7) के अन्तर्गत आती हैं, को धारा 143 की उपधारा (7) के अनुसार या किसी आदेश के अनुसार इन कम्पनियों के लेखों की नमूना जाँच लेखापरीक्षा कर सकते हैं तथा नियंत्रक—महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा—शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 (ए) के प्रावधान भी ऐसी नमूना जाँच प्रतिवेदन पर लागू होंगे। इस प्रकार सरकारी कम्पनी या अन्य कोई कम्पनी जिसका स्वामित्व या नियंत्रण, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से केन्द्र सरकार या अन्य राज्य सरकार या सरकार या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार तथा आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकार के पास हो, का लेखापरीक्षण सीएजी द्वारा किया जा सकता है। 31 मार्च 2014 को या उसके पूर्व के वित्तीय वर्षों के संबंध में कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार ही अधिशासित होगी।

सांविधिक लेखापरीक्षा

1.3 सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों (जैसा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित है) की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है जिनकी नियुक्त अधिनियम की धारा 139 (5) एवं (7) के प्रावधानों के अनुसार सीएजी द्वारा की जाती है, जो अधिनियम की धारा 143 (5) के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के वित्तीय विवरणों को सम्मिलित करते हुये अन्य के साथ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सीएजी को प्रस्तुत करेगा। इन वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143(6) के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्राप्त होने के 60 दिनों के अन्दर सीएजी द्वारा संपादित की जाती हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम (सीएसडब्ल्यूसी) जो कि एक सांविधिक निगम है, की लेखापरीक्षा भण्डारगृह निगम अधिनियम, 1962 के तहत शासित है। सीएसडब्ल्यूसी की लेखापरीक्षा चार्टर्ड एकाउण्टेंटों द्वारा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है।

सरकार एवं विधायिका की भूमिका

1.4 राज्य शासन इन पीएसयूज के मामलों पर नियंत्रण अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से रखती है। बोर्ड के लिए मुख्य कार्यकारी तथा निदेशकों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधायिका पीएसयूज के लेखांकन तथा सरकारी निवेश की उपयोगिता की भी निगरानी करती है। इसके लिए, अधिनियम की धारा 394 या संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार की कम्पनियाँ, अपने वार्षिक प्रतिवेदन के साथ सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन एवं सीएजी की टिप्पणियों तथा सांविधिक निगम के संदर्भ में, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, विधायिका में प्रस्तुत की जाती है। सीएजी का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सीएजी (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा-शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 (ए) के अधीन शासन को प्रस्तुत किया जाता है।

छत्तीसगढ़ शासन का अंश

1.5 इन पीएसयूज में राज्य शासन का बड़ा वित्तीय अंश है। यह अंश मुख्यतः तीन प्रकार के हैं:

- **अंश पूँजी एवं ऋण**— अंश पूँजी योगदान के अतिरिक्त, राज्य सरकार समय समय पर ऋण देकर पीएसयूज को वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।
- **विशेष वित्तीय सहायता**— राज्य सरकार पीएसयूज को आवश्यकता के अनुसार बजटीय सहायता, अनुदान एवं उपदान देती है।
- **प्रत्याभूति**— राज्य सरकार, वित्तीय संस्थानों द्वारा पीएसयूज को प्रदान किये गये व्याज सहित ऋण की अदायगी के लिए प्रत्याभूति भी प्रदान करती है।

राज्य के पीएसयूज में निवेश


1.6 31 मार्च 2015 को, 21 पीएसयूज में निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 25947.51 करोड़ था, जिसका विवरण [तालिका – 1.2](#) में दिया गया है।

तालिका – 1.2: पीएसयूज में कुल निवेश

सरकारी कम्पनियाँ			सांविधिक निगम			(₹ करोड़ में)
पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	कुलयोग
12341.36	13519.78	25861.14	4.04	82.33	86.37	25947.51

31 मार्च 2015 को राज्य के पीएसयूज में कुल निवेश का, 47.58 प्रतिशत पूँजी में और 52.42 प्रतिशत दीर्घावधि ऋणों में था। पीएसयूज में निवेश वर्ष 2010–11 में ₹ 9178.35 करोड़ से 182.70 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014–15 में ₹ 25947.51 करोड़ हो गया जैसा कि [रेखांचित्र-1.1](#) में दर्शाया गया है।

रेखाचित्र – 1.1




1.7 31 मार्च 2015 को राज्य के पीएसयूज में निवेश का क्षेत्रवार सारांश तालिका – 1.3 में दिया गया है।

तालिका – 1.3: पीएसयूज में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र का नाम	सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	कुल	निवेश (₹ करोड़ में)
कृषि एवं संबंधित	2	—	2	27.15
वित्त	1	—	1	31.00
अधोसंरचना	3	—	3	33.66
खनन	4	—	4	106.76
विद्युत	5	—	5	24737.07
सेवाएँ	5	1	6	1011.87
कुल	20	1	21	25947.51

31 मार्च 2011 तथा 31 मार्च 2015 को विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश तथा उनका प्रतिशत रेखाचित्र – 1.2 में दर्शाया गया है। पीएसयूज में निवेश का जोर मुख्यतः ऊर्जा के क्षेत्र में था, यह 2010–11 में ₹ 8764.92 करोड़ से बढ़कर 2014–15 में ₹ 24737.07 करोड़ हो गया।

रेखाचित्र – 1.2



(कोष्ठक में दी गई संख्या कुल निवेश का प्रतिशत दर्शाती है)

पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में निवेश वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाता है। इसमें 182.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई (2010–11 से 2014–15) जिसका मुख्य कारण ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के द्वारा पावर फाईनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड/रुरल इलेक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन लिमिटेड से अपनी नई परियोजनाओं/विकास/उन्नयन कार्यों के लिए सरकार द्वारा समता एवं ऋण में किया गया निवेश रहा।

वर्ष के दौरान विशेष सहायता एवं प्रत्याय


1.8 राज्य शासन वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूप में पीएसयूज को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। राज्य पीएसयूज में समता, ऋण, अनुदान/उपदान, ऋण का अपलेखन व ब्याज की माफी के प्रति बजटीय व्यय का संक्षिप्त विवरण 2014–15 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के लिए [तालिका – 1.4](#) में दिया गया है।

तालिका – 1.4: पीएसयूज को दी गई बजटीय सहायता का विवरण

क्र. सं.	विवरण	2012-13		2013-14		2014-15	
		पीएसयूज की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	पीएसयूज की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	बजट से समता पूँजी बहिर्गमन	4	903.52	2	22.45	1	4.90
2.	बजट से दिये गए ऋण	3	651.66	3	556.78	1	16.87
3.	प्राप्त अनुदान/उपदान	6	1322.09	8	3007.97	9	2802.62
4.	कुल बहिर्गमन (1+2+3)	10	2877.27	11	3587.20	11	2824.39
5.	ऋण एवं ब्याज की माफी	—	—	—	—	—	—
6.	निर्गत प्रत्याभूति	1	500.00	1	500.00	2	526.00
7.	प्रत्याभूति प्रतिबद्धता	3	736.08	3	867.70	3	744.73

विगत पाँच वर्षों के लिए समता, ऋण एवं अनुदान/उपदान से संबंधित बजटीय बहिर्गमन का विवरण [रेखाचित्र – 1.3](#) में दिया गया है।

रेखाचित्र – 1.3



समता, ऋण एवं अनुदान/उपदान से संबंधित बजटीय बहिर्गमन वर्ष 2010-11 में ₹ 446.04 करोड़ से अत्यधिक बढ़कर वर्ष 2013-14 में ₹ 3587.20 करोड़ हो गया, तत्पश्चात्, वर्ष 2014-15 में घटकर ₹ 2824.39 करोड़ हो गया। वर्ष 2014-15 के दौरान बजटीय बहिर्गमन ₹ 2824.39 करोड़ में समिलित है, ₹ 2465.81 करोड़ की सहायता जो कि दो पीएसयूज को दी गई है यथा छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को कमश: ₹ 1800.00 करोड़ एवं ₹ 665.81 करोड़ अनुदान एवं उपदान के रूप में रहा।

अदत्त प्रत्याभूति 2012-13 में ₹ 736.08 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 744.73 करोड़ हो गई। वर्ष 2014-15 के दौरान किसी भी पीएसयूज के द्वारा राज्य शासन को प्रत्याभूति शुल्क/कमीशन का भुगतान नहीं किया गया था।

वित्त लेखों से समाधान

1.9 राज्य के पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार समता, ऋण और अदत्त प्रत्याभूति के आंकड़े, राज्य के वित्त लेखों में दर्शाए गए आंकड़े के समान होने चाहिए। यदि आंकड़े में भिन्नता हो तो, संबंधित पीएसयू और वित्त विभाग को भिन्नताओं का समाधान करना चाहिए। इस संदर्भ में 31 मार्च 2015 की स्थिति **तालिका – 1.5** में दर्शित है।

तालिका – 1.5: वित्त लेखों और पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार समता, ऋण और अदत्त प्रत्याभूतियाँ

अदत्त के संबंध में	वित्त लेखों के अनुसार राशि	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार राशि	(₹ करोड़ में) भिन्नता
समता	1667.78	6812.79	5145.01
ऋण	458.75	16.87	441.88
प्रत्याभूति	748.40	744.73	3.67

हमने पाया कि 9 पीएसयू⁵ के आंकड़ों में भिन्नता थी और इनमें से कुछ भिन्नताओं का समाधान 2004–05 से लंबित था। यद्यपि वित्त लेखों में दर्ज आंकड़े और पीएसयू के अभिलेखों में भिन्नताओं को पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित किया गया था, परंतु राज्य शासन द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गई। शासन और पीएसयूज को भिन्नताओं के समाधान के लिए उचित समय के अंदर ठोस कदम उठाना चाहिए।

लेखों के अंतिमीकरण में बकाया

1.10 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनियों के वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 96 (1) के प्रावधानों के अनुसार सितम्बर माह के अंत तक अर्थात् संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः महीने के अंदर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। इसमें हुई विफलता अधिनियम की धारा 99 के तहत दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित कर सकती हैं। इसी तरह सांविधिक निगम के मामले में लेखों का अंतिमीकरण, लेखापरीक्षण एवं विधायिका में प्रस्तुतीकरण संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए। 30 सितम्बर 2015 तक लेखों के अंतिमीकरण करने में पीएसयूज द्वारा की गई प्रगति का विवरण **तालिका – 1.6** में प्रस्तुत है।

⁵ सीआरझीडीएनएल, सीएसआईडीसी, सीएसपीडीसीएल, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीएचसीएल, सीएसपीटीसीएल, सीएससीएससीएल, सीपीएचसीएल एवं सीएसडब्ल्यूसी।

तालिका – 1.6: कार्यरत पीएसयूज के लेखों के अंतिमीकरण की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
1.	पीएसयू की संख्या	18	20 ⁶	19	20	21 ⁷
2.	वर्ष के दौरान अंतिमीकृत हुए लेखों की संख्या	15	16	24	21	24
3.	लंबित लेखों की संख्या	38	41	36	37 ⁸	34
4.	लंबित लेखों वाले पीएसयू की संख्या	15	15	15	15	17
5.	लंबित लेखों की अवधि (वर्ष)	1 से 5	1 से 6	1 से 7	1 से 7	1 से 6

यह देखा जा सकता है कि लंबित लेखों की संख्या वर्ष 2010–11 के 38 लेखों से घटकर वर्ष 2014–15 में 34 हो गयी।

प्रशासनिक विभागों पर इन इकाईयों के कार्यकलापों का निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व है तथा यह भी सुनिश्चित करना है कि ये पीएसयू अपने लेखों का अंतिमीकरण एवं उनका अंगीकरण निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर कर रहे हैं। संबंधित शासकीय प्रशासनिक विभागों एवं अधिकारियों को लेखों के अंतिमीकरण में बकाया से संबंधित जानकारी दे दी गई है। इसके अतिरिक्त, यह मामला महालेखाकार द्वारा मुख्य सचिव को लंबित लेखों को समाप्त करने के लिए चालू वित्त वर्ष (अप्रैल 2015 और सितम्बर 2015) के दौरान दो बार अवगत कराया गया है। यद्यपि कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं देखा गया है।

1.11 वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने आठ पीएसयू में ₹ 759.67 करोड़ (ऋण: ₹ 516.88 करोड़ तीन पीएसयू में एवं अनुदान: ₹ 242.79 करोड़ पाँच पीएसयू में) का निवेश किया जिनके लेखे अंतिमीकृत नहीं हुए थे जिनका विवरण **अनुलग्नक – 1.1** में दिया गया है। लेखों के अंतिमीकरण और उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि किए गए निवेश और व्यय का लेखांकन उचित तरीके से किया गया था एवं जिस उद्देश्य हेतु निवेश किया गया था, उस उद्देश्य की प्राप्ति हुई या नहीं। इसके अतिरिक्त, इन पीएसयू के वर्तमान शुद्ध आवर्त का आंकलन लेखों के अंतिमीकरण के अभाव में नहीं किया जा सकता। इस प्रकार इन पीएसयू में शासकीय निवेश राज्य की विधायिका के नियंत्रण से बाहर रहा।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

1.12 छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम के लेखों पर सीएजी द्वारा निर्गमित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) को राज्य विधायिका में प्रस्तुत किये जाने की स्थिति **तालिका – 1.7** में दर्शित है।

⁶ सीएसईबी को लंबित लेखों के रूप में विचारित नहीं किया गया है और 14 दिसम्बर 2011 को निर्गमित सीपीएसीएल को भी उसके प्रथम लेखे 15 माह की अवधि के लिए तैयार करने के कारण लंबित लेखों में विचारित नहीं किया गया है। यद्यपि सीएमएससीएल के संबंध में दो लेखों को लंबित माना गया क्योंकि कम्पनी ने दो पृथक लेखे पहला 7 अक्टूबर 2010 से 31 मार्च 2011 की अवधि के लिए और दूसरा 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 की अवधि हेतु तैयार किये हैं।

⁷ 11 नवम्बर 2014 को सीआरडीसीएल निर्गमित हुआ।

⁸ आरएनएनटीएल से तीन वर्षों 2011–12 से 2013–14 तक के लेखे अप्राप्त हैं।

तालिका – 1.7: विधायिका में प्रस्तुत एसएआर की स्थिति

क्र. सं.	सांविधिक निगम का नाम	जिस वर्ष तक का एसएआर विधायिका में रखा गया	एसएआर जिस वर्ष से विधायिका में रखा जाना शेष है	
			एसएआर का वर्ष	शासन को जारी करने की तिथि
1.	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम	2012–13	2013–14	13.02.2015

(स्रोत: निगम द्वारा प्रस्तुत जानकारी से संकलित आंकड़े)

लेखों के अंतिमीकरण न करने पर प्रभाव

1.13 जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है (कड़िका 1.10 और 1.11), लेखों के अंतिमीकरण में विलम्ब से प्रासंगिक प्रावधानों के उल्लंघन के साथ लोकनिधि की धोखाधड़ी एवं बर्बादी के जोखिम की सम्भावना हो सकती है। उपरोक्त के अनुसार राज्य के लंबित लेखों की दशा में वर्ष 2014–15 में राज्य की जीडीपी में पीएसयू का वास्तविक योगदान का आंकलन नहीं किया जा सकता था तथा राजकोष में उनके योगदान को भी राज्य की विधायिका को प्रतिवेदित नहीं किया गया।

अतः ये अनुशंसा की जाती है कि:

- सरकार को बकाया के निराकरण के निरीक्षण हेतु एक प्रकोष्ठ का गठन करना चाहिए और प्रत्येक कम्पनी/निगम के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करना चाहिए जिसका निरीक्षण प्रकोष्ठ द्वारा किया जाए।
- जहाँ स्टाफ अपर्याप्त या अयोग्य है वहाँ सरकार को लेखे तैयार करने के लिए बाह्य स्रोत पर विचार करना चाहिए।

अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार पीएसयूज के निष्पादन

1.14 सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगम की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम का विस्तृत विवरण **अनुलग्नक – 1.2** में है। पीएसयू के आवर्त का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में सक्रियता की सीमा को दर्शाता है। वर्ष 2014–15 में समाप्त पाँच वर्षों की अवधि में पीएसयू आवर्त और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का विस्तृत विवरण **तालिका – 1.8** में प्रदर्शित है।

तालिका – 1.8: कार्यरत पीएसयूज का आवर्त और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का विस्तृत विवरण


विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	(₹ करोड़ में)
आवर्त ⁹	8804.03	14200.21	11776.04	13734.46	15510.96	
राज्य का सकल घरेलू उत्पाद	119419.76	144112.20	165641.20	185682.48	210191.79	
राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में आवर्त का प्रतिशत	7.37	9.85	7.11	7.40	7.38	

⁹ 30 सितम्बर को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार आवर्त

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से राज्य के पीएसयू के समग्र आवर्त का प्रतिशत वर्ष 2011–12 को छोड़कर, वर्ष 2010–15 के दौरान, लगभग स्थिर था।

1.15 वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान राज्य के कार्यरत पीएसयू द्वारा अर्जित लाभ और हुई हानि [रेखाचित्र – 1.4](#) में प्रदर्शित की गई है।

रेखाचित्र – 1.4



(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े अद्यतन लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर संबंधित वर्षों में पीएसयू की संख्या को दर्शाते हैं।)

राज्य के पीएसयू द्वारा 2010–11 में अर्जित औसत लाभ ₹ 315.59 करोड़ था, जो कि वर्ष 2012–13 में ₹ 1876.98 करोड़ की औसत हानि में परिवर्तित हो गयी, जिसका मुख्य कारण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को हुई अत्यधिक हानि (₹ 2012.27 करोड़) थी। वर्ष 2014–15 में समग्र हानि ₹ 1232.64 करोड़ थी। वर्ष के दौरान, 21 कार्यरत पीएसयू में से, 12 पीएसयू¹⁰ द्वारा ₹ 111.55 करोड़ का समग्र लाभ अर्जित किया गया तथा छ: पीएसयू¹¹ में समग्र रूप से ₹ 1344.19 करोड़ की हानि हुई। एक पीएसयू¹² को न लाभ न हानि हुआ। शेष दो पीएसयू¹³ ने अपने प्रथम लेखों को अंतिमीकृत नहीं किया। लाभ में प्रमुख योगदान छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम (₹ 41.40 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (₹ 20.53 करोड़) एवं छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (₹ 16.84 करोड़), का रहा। मुख्यतः हानि, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (₹ 683.96 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 630.42 करोड़) एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड (₹ 28.38 करोड़), को हुई।

1.16 राज्य के पीएसयूज से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण मापदण्ड [तालिका – 1.9](#) में दिए गए हैं।

¹⁰ सीआरबीईकेव्हीएनएल, सीआरहीव्हीएनएल, सीएनजेव्हीएचीएन, सीआईडीसी, सीएसआईडीसी, सीएसपीएचसीएल, सीएसपीटीआरसीएल, सीएसबीसीएल, सीएससीएससीएल, सीएमएससीएल, सीपीएचसीएल एवं सीएसडब्ल्यूसी

¹¹ सीएमडीसी, सीएससीसीएल, सीएपीसीएल, सीएसपीडीसीएल, सीएसपीजीसीएल एवं सीएसपीटीसीएल

¹² सीआईसीएल

¹³ आरएनएनटीएल एवं सीआरडीसीएल

तालिका – 1.9: राज्य के पीएसयूज के मुख्य मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15
नियोजित पूँजी पर प्रत्याय (प्रतिशत में)	5.10	5.59	—	—	—
ऋण	5258.06	8576.28	3156.39	12033.56	13602.11
आवर्त ¹⁴	8804.03	14200.21	11776.04	13734.46	15510.96
ऋण / आवर्त अनुपात	0.60	0.60	0.27	0.88	0.88
ब्याज का भुगतान	353.87	618.38	395.46	415.87	697.83
संचित लाभ/(-) हानि	2025.21	2002.78	(-) 3136.26	(-) 3627.12	(-) 4780.58

वर्ष 2010–11 और 2011–12 के दौरान नियोजित पूँजी पर प्रत्याय कमशः 5.10 प्रतिशत एवं 5.59 प्रतिशत था और बाद के वर्षों में कोई प्रत्याय प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि पीएसयू को हानि हुई। 2010–11 में राज्य के पीएसयू का संचित लाभ ₹ 2025.21 करोड़ था जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड में हुई अत्यधिक हानि के परिणामस्वरूप ₹ 4780.58 करोड़ की संचित हानि में परिवर्तित हो गयी। यह पीएसयू में संचालनात्मक निष्पादन में हुई गिरावट को इंगित करता है। ऋण/आवर्त अनुपात 2010–11 में 0.60:1 से बढ़कर 2014–15 में 0.88:1 हो गया जो यह दर्शाता है कि उक्त अवधि के दौरान ऋण की वृद्धि के अनुपात में आवर्त की वृद्धि नहीं हुई।

1.17 राज्य सरकार ने अपने द्वारा दी गई प्रदत्त अंशपूँजी पर न्यूनतम प्रत्याय देने के लिए कोई लाभांश नीति नहीं बनाई गयी है। उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार, 12 पीएसयू ने ₹ 111.55 करोड़ का समग्र लाभ अर्जित किया जिनमें से केवल दो पीएसयू (छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड एवं छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम) ने ₹ 2.48 करोड़ का लाभांश घोषित किया।

लेखों पर टिप्पणियाँ

1.18 1 अक्टूबर 2014 से 30 सितम्बर 2015 तक की अवधि में 16 कम्पनियों ने अपने 23 अंकेश्वित लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किये। इनमें से, 13 कंपनियों¹⁵ का चयन अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए किया गया। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों तथा सीएजी की अनुपूरक लेखापरीक्षा दर्शाती हैं कि वास्तव में लेखों के संधारण की गुणवत्ता में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सीएजी की टिप्पणियों के समग्र मौद्रिक मूल्य का विवरण **तालिका – 1.10** में दिया गया है।

¹⁴ 30 सितम्बर 2015 को अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार पीएसयू का आवर्त

¹⁵ सीआरबीईकेलीएनएल, सीआरबीईएनएल, सीएनजेहीएनएल, सीआईडीसी, सीएसआईडीसी, सीएमडीसी, सीएससीसीएल, सीआईसीएल, सीएसपीडीसीएल, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीटीसीएल, सीएसबीसीएल, एवं सीएससीएससीएल

तालिका – 1.10: कार्यरत कम्पनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

क्र. सं.	विवरण	2012–13		2013–14		2014–15	
		लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	लाभ में कमी	6	9.41	7	3.70	9	26.35
2.	हानि में वृद्धि	4	42.66	3	216.54	4	6.09
3.	लाभ में वृद्धि	4	10.90	4	0.90	5	150.74
4.	हानि में कमी	3	129.49	4	1448.49	1	360.86
5.	सारवान तथ्यों को प्रकट न करना	1	1.74	3	1065.51	6	527.54
6.	वर्गीकरण में त्रुटियाँ	4	216.94	1	34.01	6	77.76

वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा चार लेखों को अमर्यादित प्रमाण पत्र, 18 लेखों को मर्यादित प्रमाण पत्र एवं एक को प्रतिकूल प्रमाण पत्र दिए गए (अर्थात् लेखे सत्य एवं संतोषजनक स्थिति व्यक्त नहीं करते हैं)। कम्पनियों द्वारा लेखा मानकों का अनुपालन कमजोर रहा क्योंकि वर्ष के दौरान 15 लेखों में से 35 मामलों में गैर अनुपालन देखा गया।

1.19 इसी प्रकार, वर्ष 2014–15 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य भण्डार गृह निगम के द्वारा वर्ष 2013–14 के लेखों को महालेखाकार को अग्रेषित किया गया। सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा लेखों पर मर्यादित प्रमाण पत्र दिया गया तथा निगम के लेखों को अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया। निगम के सांविधिक लेखापरीक्षक तथा सीएजी की टिप्पणियों के समग्र मौद्रिक मूल्य का विवरण **तालिका – 1.11** में दिया गया है।

तालिका – 1.11: सांविधिक निगम पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के प्रभाव

क्र. सं.	विवरण	2012–13		2013–14		2014–15	
		लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	लेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	लाभ में वृद्धि	1	0.81	—	—	1	0.53
2	लाभ में कमी	—	—	1	0.20	1	0.82

लेखापरीक्षा के प्रति शासन की प्रतिक्रिया

निष्पादन लेखापरीक्षाएँ एवं कंडिकाएँ

1.20 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के लिए, छ: विभागों से संबंधित एक निष्पादन लेखापरीक्षा, एक वृहद् कंडिका एवं 12 अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ, संबंधित विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों को छ: सप्ताह के अंदर उत्तर उपलब्ध करने के निवेदन के साथ जारी किया गया था। यद्यपि, राज्य शासन से एक निष्पादन लेखापरीक्षा एवं आठ अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं से संबंधित उत्तर अप्राप्त थे (अक्टूबर 2015)।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

उत्तर अप्राप्त

1.21 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की चरम स्थिति को प्रदर्शित करती है। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (कोपू) के आंतरिक कार्यों हेतु प्रक्रिया के नियमों के अनुसार, प्रशासनिक विभाग को स्वतः सभी लेखापरीक्षा की कंडिकाएँ एवं निष्पादन लेखापरीक्षा जो नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल है उन पर कार्यवाही करनी चाहिए बजाए इसके कि इनका कोपू के द्वारा जाँच के लिए चयन किया गया है या नहीं। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की विधायिका में प्रस्तुति के 6 माह के अंदर उन पर सुधारात्मक कार्यवाही की गयी या की जाने वाली हो, को प्रदर्शित करते हुए व्याख्यात्मक टिप्पणी भी प्रस्तुत करना चाहिए था। उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणी 30 सितम्बर 2015 की स्थिति में अप्राप्त है जिसे [तालिका – 1.12](#) में दर्शाया गया है।

तालिका – 1.12: अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (30 सितम्बर 2015 की स्थिति में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (वाणिज्यिक/पीएसयू)	राज्य विधायिका में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएँ (पीएस)		पीएस/कंडिकाओं की संख्या जिनके लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई	
		पीएस	कंडिकाएँ	पीएस	कंडिकाएँ
2008–09	26.03.2010	1	5	—	2
2013–14	26.03.2015	1	11	1	4
योग		2	16	1	6

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि पाँच विभागों से संबंधित 18 कंडिकाएँ/निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से सात कंडिकाएँ/निष्पादन लेखापरीक्षाएँ, जिन पर टिप्पणी की गई थी, के व्याख्यात्मक टीप अप्राप्त (सितम्बर 2015) थे।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

1.22 30 सितम्बर 2015 को निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं कंडिकाओं की स्थिति जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक) एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयू) में शामिल थे, जिन पर कोपू के द्वारा चर्चा की गई, [तालिका – 1.13](#) में दी गई है।

तालिका – 1.13: 30 सितम्बर 2015 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल की गई निष्पादन लेखापरीक्षाओं/कंडिकाओं पर की गई चर्चा का विवरण।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं (पीएस)/कंडिकाओं की संख्या					
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल		कंडिकाएँ जिनपर चर्चा हुई		चर्चा के लिए लंबित कंडिकाएँ	
	पीएस	कंडिकाएँ	पीएस	कंडिकाएँ	पीएस	कंडिकाएँ
2008–09	1	5	1	3	—	2
2010–11	1	8	1	2	—	6
2011–12	1	10	—	1	1	9
2012–13	1	9	—	3	1	6
2013–14	1	11	—	—	1	11
योग	5	43	2	9	3	34

सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति (कोपू) के प्रतिवेदनों का अनुपालन

1.23 जुलाई 2008 एवं मार्च 2012 के दौरान राज्य की विधायिका के समक्ष प्रस्तुत कोपू के छः प्रतिवेदनों से संबंधित सात कंडिकाओं पर शासकीय विभागों की कार्यवाही विवरण (एक्शन टेकन नोट्स) अप्राप्त रहे (सितम्बर 2015) जैसा कि **तालिका – 1.14** में इंगित किया गया है।

तालिका – 1.14: कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

कोपू के प्रतिवेदन का वर्ष	कोपू के प्रतिवेदनों की कुल संख्या	कोपू के प्रतिवेदन में अनुशंसाओं की कुल संख्या	अनुशंसाओं की संख्या जिनके लिए कार्यवाही विवरण प्राप्त नहीं हुए
2008–09	1	1	1
2009–10	1	1	1
2010–11	3	4	3
2011–12	1	2	2
योग	6	8	7

कोपू के इन प्रतिवेदनों में तीन विभागों से संबंधित कंडिकाओं के बारे में अनुशंसाएँ थी, जो 2002–03 से 2004–05 के वर्षों में भारत के सीएजी के प्रतिवेदनों में शामिल थी।

यह अनुशंसा की जाती है कि शासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि: (अ) निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं कोपू की अनुशंसाओं पर कार्यवाही विवरण के उत्तर/व्याख्यात्मक टीप निर्धारित समय सीमा में भेजे जायें; (ब) हानि/लंबित अग्रिमों/अधिक भुगतान की वसूली निर्धारित समय सीमा में की जाये; एवं (स) लेखापरीक्षा आपत्तियों का उत्तर देने से संबंधित प्रणाली का नवीनीकरण किया जाना चाहिए।

इस प्रतिवेदन का क्षेत्र

1.24 इस प्रतिवेदन में 12 कंडिकाएँ, एक वृहद् कंडिका तथा एक निष्पादन लेखापरीक्षा “छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के क्रियाकलाप” पर हैं इनका वित्तीय प्रभाव ₹ 605.79 करोड़ है।